9/3/26 पत्रावली पेश हुई। रूपया वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल मुकम्मल होकर नियम से जमा होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल 6 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

1. हरगोविन्द पुत्र मनीलाल जाति माली निवासी लोकीदेह नदी मदावती करौली
2. मनीलाल पुत्र जतन
3. रोशन पुत्र जतन
सभी जाति माली निवासी भौडेरा तहसील करौली
4. किन्दी पत्नी हरगोविन्द
5. मथुरी पत्नी सरवन
जाति माली निवासी लोकीदेह नदी मदावती करौली
6. विनोद पुत्र श्यामलाल
7. अशोक पुत्र श्यामलाल
नाबालिगान जरिये संरक्षक मॉ सुनीता बेवा श्यामलाल
8. सुनीता बेवा श्यामलाल
सभी जाति माली निवासी लोकीदेह नदी मदावती करौली
9. राजाराम पुत्र कुन्दलाल (फौत)
10. शैतान पुत्र कुन्दलाल जाति माली निवासी लोकीदेह नदी मदावती करौली
11. प्यारबाई पुत्री कुन्दलाल (फौत)
11/1 विष्णु पति प्यारबाई पुत्र रामकिशन
11/2 कविता पुत्र प्यारबाई] नाबालिगान जरिये वली कुदरती पिता
11/3 नरेश पुत्री प्यारबाई] विष्णु पुत्र रामकिशन
सभी जाति माली निवासी अटा तहसील करौली

वादीगण

बनाम

1. बीरबल पुत्र मधू
2. रामबल पुत्र मधू
3. हल्के पुत्र मधू (फौत)
3/1 कंचन पत्नी हल्के
3/2 मनसिंह पुत्र हल्के
3/3 हरिसिंह पुत्र हल्के
4. बुद्ध पुत्र श्यामा (फौत)
4/1 रामपति पत्नी बुद्ध
4/2 रामदयाल पुत्र बुद्ध
4/3 सुके पुत्र बुद्ध
4/4 अमरलाल पुत्र बुद्ध
4/5 रामफूल पुत्र बुद्ध
4/6 रामकेश पुत्र बुद्ध
सभी जाति माली निवासी भौडेरा आमन का पुरा मासलपुर रोड तहसील करौली
4/7 साबो पुत्री बुद्ध पत्नी बजरंगा जाति माली निवासी कामीपुरा तहसील करौली
4/8 कम्बो पुत्री बुद्ध पत्नी बाबू
4/9 कैलाशी पुत्री बुद्ध पत्नी महादेवा
सभी जाति माली निवासी श्यारौली तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

प्रतिवादीगण

दावा धारा 188 आर०टी०एक्ट
मु नं 48/13

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री श्याम प्रकाश गर्ग, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री शिवकुमार, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अत दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण खारिज किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह आराजी खसरा **नंबर** 2178/1 एकबा 15 बीघा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 8 तहसील करौली मे वादीगण के कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नही करे ना ही किसी अन्य करावे एवं जबरन किसी प्रकार का निर्माण नही करे ना ही किसी अन्य से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 9/3/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

नोट- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज होना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–48 / 13 तारीख रजु:–2.7.13

उनवान

1. हरगोविन्द पुत्र मांगीलाल जाति–माली निवासी धोबीसिंह, नदी भद्रावती, करौली
2. मांगीलाल पुत्र जतन
3. रोशन पुत्र जतन
   सभी जाति–माली निवासी–भौडेरा तहसील करौली
4. किन्ती पत्नी हरगोविन्द
5. मथुरी पत्नी सरवन
   जाति माली निवासी धोबीदेह नदी भद्रावती करौली
6. विनोद पुत्र श्यामलाल
7. अशोक पुत्र श्यामलाल
   नबालिगान जरिये संरक्षक मॉ सुनीता बेवा श्यामलाल
8. सुनीता बेवा श्यामलाल
   सभी जाति माली निवासी धोबीदेह नदी भद्रावती करौली
9. राजाराम पुत्र बृजलाल –(फौत)
10. शैतान पुत्र बृजलाल जाति–माली निवासी–धोबीदेह, नदी भद्रावती करौली
11. प्यारबाई पुत्री बृजलाल –(फौत)
    11/1 विष्णु पति प्यारबाई पुत्र रामकिशन
    11/2 कविता पुत्र प्यारबाई } नाबालिगान जरिये बली कुदरती पिता
    11/3 नरेश पुत्री प्यारबाई } विष्णु पुत्र रामकिशन
    सभी जाति–माली निवासी–अटा, तहसील–करौली

––वादीगण

बनाम

1. बीरबल पुत्र मंगू
2. रामबल पुत्र मंगू
3. हल्के पुत्र मंगू –(फौत)
   3/1 कंचन पत्नी हल्के
   3/2 धनसिंह पुत्र हल्के
   3/3 हरिसिंह पुत्र हल्के
4. बुद्धु पुत्र श्यामा –(फौत)
   4/1 रामपति पत्नी बुद्धु
   4/2 रामदयाल पुत्र बुद्धु
   4/3 सूके पुत्र बुद्धु
   4/4 अमरलाल पुत्र बुद्धु
   4/5 रामफूल पुत्र बुद्धु
   4/6 रामकेश पुत्र बुद्धु
   सभी जाति–माली निवासी भौडेरा आमन का पुरा, मासलपुर रोड, तहसील–करौली
   4/7 साबो पुत्री बुद्धु पत्नी बजरंगा जाति–माली निवासी–काछीपुरा, तहसील–करौली
   4/8 कम्बो पुत्री बुद्धु पत्नी बाबू
   4/9 कैलाशी पुत्री बुद्धु पत्नी महादेवा
   सभी जाति माली निवासी श्यारौली, तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

–प्रतिवादीगण

दावा धारा 188 आर0टी0एक्ट

–::निर्णय::–

दिनांक :– 9/3/26

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 2178/1 रकवा 15 बीघा बारानी 3 लगानी 6/75 पैसा वाके करवा करौली 'ए' पटवार हल्का 8 करौली तहसील करौली जिला करौली वादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त स्थित है। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नही है। मुरली कुन्दन व प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 2164 रकवा 1 विस्वा हम वादीगण की उक्त आराजी से लगी हुई है। प्रतिवादीगण सहजोर ताकतवाले पैसे वालें व्यक्ति है। और जबरन ताकत के बल पर वादीगण की उक्त आराजी दर्ज वादपत्र पैरा नंबर 1 खसरा नं0 2178/1 के कुछ हिस्से पर दिनांक 28/6/2013 से जबरन वादीगण के बिना सहमति के निर्माण करना शुरू कर दिया है और नींव खोद कर नींच भरना शुरू कर दिया है जबरन निर्माण की स्थिति दावा के साथ संलग्न नक्शे मे वरंग सुर्ख दर्शित किया गया है नजरी नक्शा सलंग्न नक्शा वादपत्र का जुज है। हम वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त विवादित आराजी में निर्माण करने की मना किया तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि अभी तक कुछ भी हिस्से मे निर्माण किया है हम तुम्हारी जमीन को काश्त नही करने देगे और प्रतिवादीगण लगातार तेज गति से निर्माण कार्य कर रहे है। यदि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो प्रार्थीगण को हक हकूको पर गहरा आघात होगा व भारी अपूर्णीय क्षति होगी वादीगण अपनी खातेदारी भूमि से बंधित हो जावेगे। इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है कि वे उक्त विवादित आराजी में किसी भी तरह के निर्माण कार्य न तो स्वयं करे और नाही किसी अन्य से करावे और वादीगण को किसी भी तरह से कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा ना करे ना दीगर से करावें। वादीगण को उक्त आराजी पर शान्ति पूर्वक काबिज

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

रहने देवें। एवं जबरन निर्माण नही करे ना करावे एवं प्रतिवादीगण ने जो निर्माण वरंग सुर्ख से हिस्सा व मुन्दर्जे नक्शा सलंग्न वादपत्र में अनाधिकार गैर कानूनी तरीके से वादीगण की भूमि को दबाकर निर्माण कर दिया है उसे आदेशात्मक व्यादेश से हटवाया जाने के भी वादीगण अधिकारी है। विनाय मुखासमत बाद कारण दिनांक 28.6.2013 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी की आराजी मुतनाजा में वरंग सुर्ख मुन्दर्जे नक्शा वादपत्र में नींव खोद कर निर्माण कार्य शुरू करने एव आयन्दा निर्माण करने व काश्त नही करने की धमकी देने पर अन्दर हदूदअदालत हाजा पैदा हुई दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमानजी को हासिल है। दावा अन्दर हदूद अदालत हाजा है। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया है कि विवादित भूमि खसरा नं0 2178/1 का वाके कस्बा करौली पटवार हल्का नं0 8 करौली में स्थित होना स्वीकार है। वाकिया इबारत जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नही है। खसरा नं0 2178/1 का रकवा 15 वीघा नही है। बल्कि खसरा नं0 2178/1 का रकवा 15 वीघा नही है। बल्कि खसरा नं0 2178 से खसरा नं0 2164 की 1 वीघा 17 विस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में 18 विस्वा भूमि गलत तौर पर वक्त सेटलमेंट दर्ज हुयी है। जिसके लिये प्रतिवादीगण द्वारा काउण्टर क्लेम वादीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया जा रहा है। आराजी खसरा नं0 2164 का प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे की होना एवं खसरा नं0 2178/1 से लगी हुयी सटी हुई होना स्वीकार है। वकिया इबारत जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नही है। खसरा नं0 2164 का रकवा 1 विसवा नही हो कर सेटलमेंट विभाग ने संवत् 2015 में गलत तौर पर तैयार है और जमाबंदी संवत् 2015 सेटलमेंट खातौनी मे रकवा 1 विस्वा गलत तौर पर बिला आधार कायत किया है। जिसकी दुरूस्ती का काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा खसरा नं0 2164 का रकवा 1 वीघा 18 विस्वा है। जिस पर प्रतिवादीगण अपने

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

पिता गण व पूर्वज मुरली, कुंदन व वल्ली के समय से बतौर खातेदारी काबिज काश्त है। वादीगण दावा की आड में प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे की पुश्तैनी आराजी के रकवा 1 वीघा 17 विस्वा भूमि को हडपना चाहते है जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादीगण का निर्माण खसरा नं0 2164 प्रतिवादीगण के खातेदारी भूमि में किया जा रहा है जिसे रोकने का वादीगण को कोई हक व अधिकार नही है। वादीगण कोई स्थाई निषेधाज्ञा हम प्रतिवादीगण के विरूद प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं वादीगण के किसी हक हकूक पर आघात नही है। वादीगण को कोई अपूर्णीय क्षति व असुविधा निर्माण प्रतिवादीगण से नही है। वादीगण प्रतिवादीगण के निर्माण को हटवाने के अधिकारी नही है। निर्माण दायरी दावा से पूर्व ही पूर्ण हो चुका है। निर्माण के 6 माह बाद वादीगण ने प्रतिवादीगण की भूमि को हडपने के लिये यह दावा पेश किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। दिनांक 28–6–15 को वादीगण को कोई विनाय मुखासमत दावा खिलाफ प्रतिवादीगण नही हुई है। निर्माण प्रतिवादीगण माह जनवरी 2015 में ही पूर्ण हो चुका है। दिनांक 28–6–15 को निर्माण शुरू करना वादीगण द्वारा गलत तौर पर दर्ज किया है। वादीगण को कोई बाद कारण दिनांक 28–6–15 को खिलाफ प्रतिवादीगण पैदा नही हुआ हैं। वादीगण का खसरा नं0 2164 से कोई खातेदारी संबंध नही है। दावा वादीगण वाद कारण के अभाव में व कब्जा वादीगण के अभाव में स्थायी निषेधाज्ञा का चलने योग्य नही है। दावा वादीगण म्याद बाहर है। चलने योग्य नही है। खसरा नं0 2178/1 पर वादीगण का कब्जा नही है। न्यायालय हाजा का आदेशात्मक व्यादेश जारी करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही होने से दावा वादीगण क्षेत्राधिकार के अभाव में चलने योग्य नही है। वादीगण दावा हाजा के तहत प्रतिवादीगण के विरूद कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण दावा की आड में प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं0 2164 की भूमि रकवा 1 वीघा 17 विस्वा का हडपना चाहते है। दावा वादीगण हर सूरत में खारिज किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नं0 2164 रकवा 1 वीघा 18 विसवा कस्बा करौली में स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

जिसका साविक खसरा नं0 1798 है। उक्त आराजी संवत् 2010 से 13 में प्रतिवादीगण के पितामह व पूर्वज वल्ली वगैरह के खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी है। जिससे वादीगण का कोई खातेदारी व काबिजाना संबंध नही है। ना कभी रहा है। ना अब है। उक्त आराजी के सेटलमेंट संवत् 2015 में सेटलमेंट कर्मियों ने प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के पितागण व पूर्वज बल्ली वगैरह से छपाते हुये नक्शा शीट में रकवा 1 वीघा 18 विस्वा के स्थान पर 1 वीघा के करीब व जमाबंदी में 1 विस्वा व मिलान क्षेत्रफल में 1 विस्वा गलत व अवैध रूप से बिला आधार दर्ज कर दिया है। जब कि खसरा नं0 2164 का वास्तविक रकवा 1 वीघा 18 विसवा है। जिसके साविक खसरा नं0 1798 का रकवा 1 वीघाा 18 विस्वा रहा है। मिलान क्षेत्रफल व नक्शा तरमीम शीट व जमाबंदी सेटलमेंट खातौनी 2015 में अवैध इन्द्राज सेटलमेंट कर्मियों व विभाग ने दर्ज किये है। सेटलमेंट विभाग के पूर्व राजस्व रिकार्ड जमाबदी संवत 2010 से 13 व नक्शा सीट संवत् 2010 से 13 के इन्द्राजों को रिर्पोट करने का दायित्व है पूर्व इन्द्राजो का सेटलमेंट विभाव व कर्मियों को बदलने हटाने का अधकारी बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के नही है। संवत 2015 वकत सेटलमेंट खसरा नं0 2164 के हुये अवैध खातेदारी इन्द्राज व तरमीम सीट संवत् 2012 व मिलान क्षेत्रफल संवत् 2015 हक हकूक प्रतिवादीगण व पिता प्रतिवादीगण व पूर्वज प्रतिवादीगण पर प्रारम्भ से ही शून्य बेअसर प्रभावहीन है। और प्रतिवादीगण नर बाध्यकारी नही है। प्रतिवादीगण खसरा नं0 2164 का रकवा 1 वीघा 18 विस्वा व नक्शा सीट में रकवा 1 वीघा 18 विस्वा दुरूस्त करा कर अपने हक में घोषणा खातेदारी कराने के अधिकारी है। विनाय मुखासमत काउण्टर कलेम दिनांक 5/7/13 को वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा के प्रतिवादीगण को सम्मन मिलने पर दावा में खसरा नं0 2164 का रकवा 1 विस्वा दर्ज होने की जानकारी होने पर प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड संवत् 2010 से 13 व संवत् 2012 की तरमीम सीट व सेटलमेंट संवत् 2015 की खातोनी व मिलान क्षेत्रफल की नकले दिनांक 14/5/13व 821/16 को प्राप्त होने पर खसरा नं0 2164 के सेटलमेंट संवत् 2015 में हुये

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

अवैध जमाबंदी इन्द्राज व नक्शा ट्रेस इन्द्राज की जानकारी होने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुयी है। अतः काउण्टर क्लेम अंदर म्याद प्रस्तुत है। काउण्टर क्लेम न्यायालय के सुनवाई योग्य है। कोर्ट फीस 2/- रूपया अलग से काउण्टर बाबत प्रस्तुत है। दावा वादी खारिज किया जाकर काउण्टर क्लेम डिक्री किया जावे।

वादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नं0 2178/1 हम वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जमाबंदी नक्शा ट्रेस में हमारे हक में इन्द्राज है। मौके पर नक्शे अनुसार हम वादीगण का बिला काश्त है और काश्त कर रहे है। खसरा नं0 2164 का कोई हिस्सा हमारे नक्शा में दर्ज नही है। खसरा नं0 2164 का सेटलमेंट पूर्व 1 बीघा 18 बिस्वा रकवा हो, गलत दर्ज किया है। सेटलमेंट विभाव द्वारा साविक खातदारों के कब्जे के अनुसार ही नक्शा बनाया है। खसरा नं0 2164 प्रतिवादीगण की पुश्तैनी हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा के साथ पेश नही किया है। प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नं0 2164 में निर्माण करना भी गलत दर्ज किया है। दावा से पहले निर्माण पूर्ण होना भी जवाबदावा में गलत दर्ज किया है। दिनांक 28/6/2013 को प्रतिवादीगण निर्माण शुरू करना दावा में सही दर्ज किया है। पूर्ण जवाब अगले पैराओ में दिया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा के साथ संवत 2010 से 2013 की जमाबंदी पेश नही की है। जिसमें पूर्ण जवाब दिया जाना संभव नही है। जमीन के पुश्तैनी होने का भी कोई दस्तावेज जवाब दावा के साथ पेश नही किया गया है। सेटलमेंट विभाग द्वारा कोई परिवर्तन नही किया गया है। खसरा नं0 2164 का रकवा 1 बीघा 18 बिसवा होना गलत है। जवाबदावा के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे पूर्ण जवाब पेश किया जा सके। साविक खसरा नंबर 1798 कर रकवा 1 बीघा 18 बिस्वा हो। यह भी गलत दर्ज यिाक है। सेटलमेंट द्वारा कोई अवैध इन्द्राज नही किये गये है। प्रतिवादीगण कोई दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रतिवादीगण को कोई विनाय मुखासमत हम वादीगण के खिलाफ पैदा नही हुई। काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

मियाद बाहर है। काउण्टर क्लेम न्यायालय हाजा के सुनवाई क्षेत्राधिकार में नही है। इसलिये काउण्टर क्लेम दावा चलने योग्य नही है। प्रतिवादीगण द्वारा संवत् 2010 से 2013 का कोई रिकार्ड पेश नही किया है। इसलिये पूर्ण जवाब दिया जाना संभव नही है। प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नंबर 2164 साविक खसरा नंबर 1798 दर्ज किया है तथा खसरा नं0 1798 का रकवा 1 वीघा 18 विस्वा दर्ज किया है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल में साविक खसरा नंबर 1797 के मिन नंबर दर्ज है। जिसके अनुसार खसरा नंबर 1798 के हाल खसरा नंबर 2164–2163– व 2162 बनते हैं। जो स्वयं प्रति वादीगण द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से सावित है। तो प्रतिवादीगण की एडमीटेड फैक्ट है। खसरा नं0 2162 स्वयं प्रतिवादीगण के नाम जमाबंदी में दर्ज है। यदि खसरा नंबर 1798 प्रतिवादीगण की पुश्तैनी हो भी तो उन्हे खसरा नंबर 2163 को अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने की कार्यवाही करनी चाहिए। काउण्टर क्लेम में प्रतिवादीगण द्वारा घोषणा खातेदारी की इस्तदुआ की है। जिसमें लैण्ड होल्डर, तहसीलदार आवश्यक पक्षकार है। इसलिये भी काउण्टर क्लेम पेश कर्दा प्रतिवादीगण चलने योग्य नही है और खारिज किये जाने योग्य है। अंत दावा वादी डिक्री किया जाकर काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गयेः–

1. आया, विवादित आराजी ख.न. 2178/1 रकवा 15 वीघा कस्बा करौली वादीगण के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की है। वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

––वादीगण

2. आया, विवादित आराजी ख.न. 2178/1 में ख.न. 2178 में ख.न. 2164 की एक वीघा 17 विस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड जामबंदी नक्शा सीअ में 18 विसवा भूमि योगय दर्ज हुई है। जिस जरिये काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण अपने हक में खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती अपने हक में खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती कराकर अपने हक में इन्द्राज कराने के अधिकारी है।

––प्रतिवादीगण

3. आया, दावा वादीगण वाद कारण के अभाव में चलने योग्य नही है।

––प्रतिवादीगण

अधिकारी
करौली (राज०)

4. आया, दावा वादीगण म्याद बाहर है। चलने योग्य नही है।

—प्रतिवादीगण

5. आया, दावा वादीगण क्षेत्राधिकार के अभाव में चलने योग्य नही है।

—प्रतिवादीगण

6. अनुतोष :—

वाद विवाधक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी हरगोविन्द पीडब्ल्यू—1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल नक्शा शीट प्रदर्श—1, नकल जमाबंदी संवत 2068—71 प्रदर्श—2 पेश कर प्रदर्शित कराये है। साक्ष्य वादीगण समाप्त कर बंद की गई।

प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 27.02.2026 को साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की गई।

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 2178/1 रकवा 15 बीघा बारानी 3 लगानी 6/75 पैसा वाके कस्बा करौली 'ए' पटवार हल्का 8 करौली तहसील करौली जिला करौली वादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त स्थित है। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नही है। मुरली कुन्दन व प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 2164 रकवा 1 विस्वा हम वादीगण की उक्त आराजी से लगी हुई है। प्रतिवादीगण सहजोर ताकतवाले पैसे वालें व्यक्ति है। और जबरन ताकत के बल पर वादीगण की उक्त आराजी दर्ज वादपत्र पैरा नंबर 1 खसरा नं0 2178/1 के कुछ हिस्से पर दिनांक 28/6/2013 से जबरन वादीगण के बिना सहमति के निर्माण करना शुरू कर दिया है और नींव खोद कर नींच भरना शुरू कर दिया है जबरन निर्माण की स्थिति दावा के साथ संलग्न नक्शे मे वरंग सुर्ख दर्शित किया गया है नजरी नक्शा सलंग्न नक्शा वादपत्र का जुज है। हम वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त विवादित आराजी में निर्माण करने की मना किया तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि अभी तक कुछ भी हिस्से मे निर्माण किया है हम तुम्हारी जमीन को काश्त नही करने देगे और प्रतिवादीगण लगातार तेज गति से निर्माण कार्य कर रहे है। यदि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो प्रार्थीगण को हक हकूको पर गहरा आघात होगा व भारी अपूर्णीय क्षति होगी वादीगण अपनी खातेदारी भूमि से बंधित हो जावेगे। इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है कि वे उक्त विवादित आराजी में किसी भी तरह के निर्माण कार्य न तो स्वयं करे और नाही किसी अन्य से करावे और

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

वादीगण को किसी भी तरह से कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा ना करे ना दीगर से करावें। वादीगण को उक्त आराजी पर शान्ति पूर्वक काबिज रहने देवें। एवं जबरन निर्माण नही करे ना करावे एवं प्रतिवादीगण ने जो निर्माण वरंग सुर्ख से हिस्सा व मुन्दर्जे नक्शा सलंग्न वादपत्र में अनाधिकार गैर कानूनी तरीके से वादीगण की भूमि को दबाकर निर्माण कर दिया है उसे आदेशात्मक व्यादेश से हटवाया जाने के भी वादीगण अधिकारी है। विनाय मुखासमत बाद कारण दिनांक 28.6.2013 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी की आराजी मुतनाजा में वरंग सुर्ख मुन्दर्जे नक्शा वादपत्र में नींव खोद कर निर्माण कार्य शुरू करने एव आयन्दा निर्माण करने व काश्त नही करने की धमकी देने पर अन्दर हदूदअदालत हाजा पैदा हुई दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमानजी को हासिल है। दावा अन्दर हदूद अदालत हाजा है। अंत मे दावा वादी डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादीगण को बहस में कथन है कि विवादित भूमि खसरा नं0 2178/1 का वाके कस्बा करौली पटवार हल्का नं0 8 करौली में स्थित होना स्वीकार है। वाकिया इबारत जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नही है। खसरा नं0 2178/1 का रकवा 15 वीघा नही है। बल्कि खसरा नं0 2178/1 का रकवा 15 वीघा नही है। बल्कि खसरा नं0 2178 से खसरा नं0 2164 की 1 वीघा 17 विस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में 18 विस्वा भूमि गलत तौर पर वक्त सेटलमेंट दर्ज हुयी है। जिसके लिये प्रतिवादीगण द्वारा काउण्टर क्लेम वादीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया जा रहा है। आराजी खसरा नं0 2164 का प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे की होना एवं खसरा नं0 2178/1 से लगी हुयी सटी हुई होना स्वीकार है। वकिया इबारत जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नही है। खसरा नं0 2164 का रकवा 1 विसवा नही हो कर सेटलमेंट विभाग ने संवत् 2015 में गलत तौर पर तैयार है और जमाबंदी संवत् 2015 सेटलमेंट खातौनी मे रकवा 1 विस्वा गलत तौर पर बिला आधार कायत किया है। जिसकी दुरूस्ती का काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा खसरा नं0 2164 का रकवा 1 वीघा 18 विस्वा है। जिस पर प्रतिवादीगण अपने पिता गण व पूर्वज मुरली, कुंदन व वल्ली के समय से बतौर खातेदारी काबिज काश्त है। वादीगण दावा की आड में प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे की पुश्तैनी आराजी के रकवा 1 वीघा 17 विस्वा भूमि को हडपना चाहते है जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादीगण का निर्माण खसरा नं0 2164 प्रतिवादीगण के खातेदारी भूमि में किया जा रहा है जिसे रोकने का वादीगण को कोई हक व अधिकार नही है। वादीगण कोई स्थाई निषेधाज्ञा हम प्रतिवादीगण के विरूद प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं वादीगण के किसी हक हकूक पर आघात नही है। वादीगण को कोई

अधिकारी
करौली (राज०)

अपूर्णीय क्षति व असुविधा निर्माण प्रतिवादीगण से नही है। वादीगण प्रतिवादीगण के निर्माण को हटवाने के अधिकारी नही है। निर्माण दायरी दावा से पूर्व ही पूर्ण हो चुका है। निर्माण के 6 माह बाद वादीगण ने प्रतिवादीगण की भूमि को हडपने के लिये यह दावा पेश किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। दिनांक 28–6–15 को वादीगण को कोई विनाय मुखासमत दावा खिलाफ प्रतिवादीगण नही हुई है। निर्माण प्रतिवादीगण माह जनवरी 2015 में ही पूर्ण हो चुका है। दिनांक 28–6–15 को निर्माण शुरू करना वादीगण द्वारा गलत तौर पर दर्ज किया है। वादीगण को कोई बाद कारण दिनांक 28–6–15 को खिलाफ प्रतिवादीगण पैदा नही हुआ हैं। वादीगण का खसरा नं0 2164 से कोई खातेदारी संबंध नही है। दावा वादीगण वाद कारण के अभाव में व कब्जा वादीगण के अभाव में स्थायी निषेधाज्ञा का चलने योग्य नही है। दावा वादीगण म्याद बाहर है। चलने योग्य नही है। खसरा नं0 2178/1 पर वादीगण का कब्जा नही है। न्यायालय हाजा का आदेशात्मक व्यादेश जारी करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही होने से दावा वादीगण क्षेत्राधिकार के अभाव में चलने योग्य नही है। वादीगण दावा हाजा के तहत प्रतिवादीगण के विरूद कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण दावा की आड में प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं0 2164 की भूमि रकवा 1 वीघा 17 विस्वा का हडपना चाहते है। दावा वादीगण हर सूरत में खारिज किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नं0 2164 रकवा 1 वीघा 18 विसवा कस्बा करौली में स्थित है। जिसका साविक खसरा नं0 1798 है। उक्त आराजी संवत् 2010 से 13 में प्रतिवादीगण के पितामह व पूर्वज वल्ली वगैरह के खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी है। जिससे वादीगण का कोई खातेदारी व काबिजाना संबंध नही है। ना कभी रहा है। ना अब है। उक्त आराजी के सेटलमेंट संवत् 2015 में सेटलमेंट कर्मियों ने प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के पितागण व पूर्वज बल्ली वगैरह से छपाते हुये नक्शा शीट में रकवा 1 वीघा 18 विस्वा के स्थान पर 1 वीघा के करीब व जमाबंदी में 1 विस्वा व मिलान क्षेत्रफल में 1 विस्वा गलत व अवैध रूप से बिला आधार दर्ज कर दिया है। जब कि खसरा नं0 2164 का वास्तविक रकवा 1 वीघा 18 विसवा है। जिसके साविक खसरा नं0 1798 का रकवा 1 वीघाा 18 विस्वा रहा है। मिलान क्षेत्रफल व नक्शा तरमीम शीट व जमाबंदी सेटलमेंट खातौनी 2015 में अवैध इन्द्राज सेटलमेंट कर्मियों व विभाग ने दर्ज किये है। सेटलमेंट विभाग के पूर्व राजस्व रिकार्ड जमाबदी संवत 2010 से 13 व नक्शा सीट संवत् 2010 से 13 के इन्द्राजों को रिर्पोट करने का दायित्व है पूर्व इन्द्राजो का सेटलमेंट विभाव व कर्मियों को बदलने हटाने का अधकारी बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के नही है। संवत 2015 वकत सेटलमेंट खसरा नं0 2164 के हुये अवैध खातेदारी इन्द्राज व

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

तरमीम सीट संवत् 2012 व मिलान क्षेत्रफल संवत् 2015 हक हकूक प्रतिवादीगण व पिता प्रतिवादीगण व पूर्वज प्रतिवादीगण पर प्रारम्भ से ही शून्य बेअसर प्रभावहीन है। और प्रतिवादीगण पर बाध्यकारी नहीं है। प्रतिवादीगण खसरा नं0 2164 का रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा व नक्शा सीट में रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा दुरूस्त करा कर अपने हक में घोषणा खातेदारी कराने के अधिकारी है। बिनाय मुखासमत काउण्टर क्लेम दिनांक 5/7/13 को वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा के प्रतिवादीगण को सम्मन मिलने पर दावा में खसरा नं0 2164 का रकबा 1 बिस्वा दर्ज होने की जानकारी होने पर प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड संवत् 2010 से 13 व संवत् 2012 की तरमीम सीट व सेटलमेंट संवत् 2015 की खातोनी व मिलान क्षेत्रफल की नकले दिनांक 14/5/13व 821/16 को प्राप्त होने पर खसरा नं0 2164 के सेटलमेंट संवत् 2015 में हुये अवेध जमाबंदी इन्द्राज व नक्शा सीट इन्द्राज की जानकारी होने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुयी है। अतः काउण्टर क्लेम अंदर म्याद प्रस्तुत है। काउण्टर कलेम न्यायालय के सुनवाई योग्य है। कोर्ट फीस 2/–रूपया अलग से काउण्टर बावत् प्रस्तुत है। दावा वादी खारिज किया जाकर काउन्टर क्लेम डिकी किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन किया जाना उचित प्रतीत होता है जो निम्न प्रकार हैः–

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने इस विवाद्यक के संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श–1 पेश की है। जिसमें वादीगण के हक में खातेदारी इन्द्राज है एवं वादी हरगोविन्द पीडब्ल्यू–1 ने अपने मौखिक साक्ष्य में भूमि पर कब्जा काश्त होना एवं वादीगण की खातेदारी की होना कथन किया है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य एवं राजस्व रिकॉर्ड पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की है। जिससे भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे की हो। वादीगण ने विवाद्यक संख्या 1 को अपनी साक्ष्य से साबित किया है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के पक्ष में ण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 ता 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस विवाद्यकों के सबंध में पत्रावली में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है ना ही वादग्रस्त आराजी का

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

राजस्व रिकॉर्ड अपने खातेदारी की होना का प्रस्तुत नहीं किया है। अतः विवाद्यक संख्या 2 ता 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 6 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन से पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श–1 से भूमि वादीगण के खातेदारी व कब्जेकाश्त की होना एवं प्रतिवादी गण को भूमि का कोई संबंध नहीं होना प्रकट होता है। वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है। दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीण साक्ष्य के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण खारिज किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह आराजी खसरा नंबर 2178/1 रकबा 15 बीघा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 8 तहसील करौली में वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ना ही किसी अन्य करावें एवं जबरन किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें ना ही किसी अन्य से करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9/3/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

9/3/26

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज.)